चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 06.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 06.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्र द्वारा थाना मानिकपुर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अभिनेष कुमार पुत्र पहारिया सोनकर निवासी बालमिकी नगर पूर्वी पुराना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण

में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में थाना बहिलपुरवा पुलिस ने 10 हजार रुपये के इनामिया अपराधी को अवैध तमंचा कारतूस व चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

कल्लू रैकवार पुत्र भीखम रैकवार निवासी रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. 01 अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस 12 बोर
2. 02 जोड़ी पायल सफेद धातु
3. 06 नग बिछिया सफेद धातु

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

गिरधार बाबा तिराहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट, दिनाँक 05.03.2024, समय 20.05 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 05.03.2024 को समय लगभग 20.05 बजे थाना बहिलपुरवा में नियुक्त उ0नि0 श्री भगवतनारायण तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 17/2023 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना बहिलपुरवा व मु0अ0सं0 72/2023 धारा 457,380,411 भादवि0 थाना मानकिपुर के वांछित आरोपी कल्लू रैकवार पुत्र भीखम निवासी रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ थाना बहिलपुरवा अन्तर्गत देशी शराब के ठेके से चोरी की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा में दिनाँक 05.04.2023 तथा थाना मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम रामपुर कल्याणगढ़ में अपने साथियों के साथ चोरी की थी जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 12.07.2023 को थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 72/2023 धारा 457,380,411 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इन मुकदमों से सम्बन्धित उपरोक्त अभियुक्त के साथियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनाँक 05.04.2023 से अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था तथा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की तरफ से 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह द्वारा अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से मु0अ0सं0 72/2023 से सम्बन्धित चोरी का माल 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 06 नग बिछिया सफेद धातु बरामद किये गये।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री भगवतनारायण थाना बहिलपुरवा
2. मुख्य आरक्षी चालक सज्जन कुमार
3. आरक्षी शक्ति सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदक श्री अभिताभ रैकवार पुत्र विनोद कुमार निवासी मानिकपुर दुमदुमा थाना पृथ्वीपुर जनपद झांसी द्वारा अपनी पत्नी ज्योती पुत्र कमलेश निवासी शंकरगंज खटिकाना मुहल्ला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव

(6). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री राज कमल के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशिकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये माह फरवरी में कुल 13 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 8,08,457/- रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशिकान्त राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके 13 पीडितों का 8,08,457 रुपया वापस कराया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है आँन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है। अतः आँन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे व्यक्तियों को यह जानकारी जरुरी है कि कैसे-कैसे हम साइबर ठगी का शिकार हो सकते है और क्या सावधानी अपनायें की साइबर ठगी से बचा जा सके। जनपदीय साइबर सेल द्वारा लगातार लोगों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरुक किया जाता हैं एवं साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर अथक प्रयास करते हुये सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों की धनराशि वापस करायी जाती है। साइबर अपराध पीड़ितों के रुपये वापस होने पर उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं पुलिस टीम का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद दिया गया।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम महिला थाना की पुलिस टीम टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर 02 परिवारों में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रुपा देवी पत्नी मिथुन कुमार द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट तथा आवेदिका श्रीमती राजकुमारी पत्नी जितेन्द्र निवासी गड़रियन पुरवा मजरा रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा अफपने-अपने पतियों के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट करने के सम्बन्ध मेंमहिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया। महिला थाना में नियुक्त उ0नि0 श्री संतोष तिवारी, महिला आरक्षी शिवानी सिंह एवं आरक्षी राघवेन्द्र द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्षों से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दोनों दम्पत्ति जोड़ों को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

<u>समझौता कराने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री संतोष कुमार तिवारी महिला थाना

2.महिला आरक्षी शिवानी सिंह

3. आरक्षी राघवेन्द्र

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेंद्र चंद्र पांडे की मार्गदर्शन में थाना रैपुरा पुलिस टीम ने अभियुक्त शिब्बू उर्फ शुभम पटेल पुत्र चुंनका पटेल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को चोरी की डीजे मिक्सर मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.02.2024 को वादी अंकित विश्वकर्मा पुत्र मुनेश विश्वकर्मा निवासी रामाकोल थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी कि उनका डीजे मिक्सर मशीन चोरी हो गयी है, इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 23/2024 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं मशीन बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह को लगाया गया। उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 06.03.2024 को अभियुक्त

शिब्बू उर्फ शुभम पटेल पुत्र चुंनका पटेल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को चोरी की डीजे मिक्सर मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की डीजे मिक्सर मशीन बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 454,411 भदावि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

बरामदगीः-

चोरी की डीजे मिक्सर मशीन

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना रैपुरा
2. मुख्य आरक्षी अशोक कुमार
3. आरक्षी तिलक राज

(09). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 27/2024 धारा 354 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त सुशील पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम छिलवा पुरवा मजरा भैसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप
2. आरक्षी सुरेन्द्र कुमार

(10) पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवली कर्वी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एन0सी0बी0 मु0अ0सं0 06/2013 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. बद्री प्रसाद शिवहरे पुत्र बैजनाथ निवासी प्यारेलाल कालोनी बल्दाऊगंज कसहाई रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. शिवकुमार सविता पुत्र ऋषि कुमार सविता निवासी शंकर बाजार काली देवी मन्दिर हनुमान मंदिर के पास थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3. शिवरामपुर शिवहरे वयस्क पुत्र बनवारी लाल निवासी बदौसा थाना बदौसा जनपद बांदा को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01-01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11) आज दिनाँक 06.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर एवं एस0एस0बी फोर्स के जवानों ने थाना मानिकपुर क्षेत्र के सम्पूर्ण कस्बा मानिकपुर, चूल्ही, कल्याणपुर, नागर, कस्बा सरैंया, हनुआ, गढ़चपा अन्तर्गत मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन कर आम जनता को निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान करने हेतु आश्वस्त किया गया। इस दौरान निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव, चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह एवं भारी पुलिस बल साथ में रहे।